



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय  
मिड डे मील योजना  
(Mid Day Meal Scheme)




एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/437 दिनांक : 5/11/2020  
:: आदेश ::

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 5-1/2020-Desk (MDM) - Part (1) दिनांक 27.10.2020 के द्वारा प्रथम त्रैमास (अप्रैल, 2020 से जून, 2020) एवं द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020) के लिए आवंटित खाद्यान्न में से कोविड 19 के कारण Unlifted खाद्यान्न की वैधता अवधि में 31.12.2020 तक की अभिवृद्धि की गई है।

उक्त आदेश की अनुलपाना में विभाग के आदेश संख्या 01 दिनांक 01.05.2020 द्वारा प्रथम त्रैमास (अप्रैल, 2020 से जून, 2020) एवं आदेश संख्या 97 दिनांक 23.06.2020 द्वारा द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020) के लिए आवंटित खाद्यान्न में से कोविड 19 के कारण Unlifted खाद्यान्न के उदाव की वैधता तिथि 31.12.2020 तक अभिवृद्धि की जाती है।

सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रा.शि. प्रथम त्रैमास (अप्रैल, 2020 से जून, 2020) एवं द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020) के Unlifted खाद्यान्न को दिनांक 31.12.2020 तक उदाव सुनिश्चित करें।

शेष दिशा-निर्देश मूल आवंटन आदेश अनुसार यथावत रहेंगे।

  
(प्रदीप प्रकाश गोयल)  
उपायुक्त, प्रशासन

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/437  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 5/11/20

1. अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. महाप्रबन्धक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्द एवं विक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा।
7. प्रभारी आईटी सैल/लेखा शाखा
8. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

  
उपायुक्त (प्रशासन)

पता :- प्रशासनिक भवन, डी राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे एन एन मार्ग, जयपुर, सम्पर्क - 0141-2701694, 2707166, 2701960

ई-मेल mdm-rj@nic.in